

**कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी जनपद कुशीनगर
विज्ञप्ति**

संख्या 335 / व्यवस्थापन / ई-लाटरी / कुशीनगर / 2020-21 / दिनांक:- 10.07.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त उ०प्र० प्रयागराज के पत्र संख्या-12512-86/टास्क फोर्स-2/ई-लाटरी/2019-20/लखनऊ: दिनांक जुलाई 10, 2020 के अन्तर्गत नवसृजित देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2020-21 हेतु ई-लाटरी प्रणाली के चतुर्थ चरण के अन्तर्गत ऑन लाइन प्रार्थना पत्र प्राप्त कर व्यवस्थापन कराया जाना है। दुकानों का विवरण निम्नवत है:-

देशी शराब दुकान:-

क्र.मां.क	दुकान का नाम	प्रास्थिति	वर्ष 2020-21 का निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (रु० में)	वर्ष 2020-21 का निर्धारित एम०जी०क्यू० (36 प्रतिशत वी/वी में)	प्रोसेसिंग फीस (रु०में)	हैसियत (रु०में)	वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित प्रतिमूति घनराशि(रु० में)	घरोहर घनराशि (रु०में)
01	लक्ष्मीपुर(कुर्मी पट्टी)	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
02	पटेरा	ग्रामीण	1386000	42000	20000	1813000	949200	138600
03	रामपुर दहाउर	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
04	पिपरा जटामपुर	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
05	केवल छपरा	नगर पालिका	3366000	102000	20000	4403000	2305200	336600
06	कसाड़ा चौक	नगर पालिका	3366000	102000	20000	4403000	2305200	336600
07	छहूँ	ग्रामीण	1386000	42000	20000	1813000	949200	138600
08	सिघावे (भड़कुलवा)	ग्रामीण	792000	24000	20000	1036000	542400	79200
09	अमडरिया	ग्रामीण	1188000	36000	20000	1554000	813600	118800
10	कोटवा बाजार	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
11	तिनहवां	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
12	पचार	ग्रामीण	1584000	48000	20000	2072000	1084800	158400
13	चन्द्रपुर (गोबरही)	ग्रामीण	1980000	60000	20000	2590000	1356000	198000
14	गंगुआ	ग्रामीण	3564000	108000	20000	4662000	2440800	356400
15	बरईपट्टी	ग्रामीण	2111868	63996	20000	2762494	1446310	211187
16	बांसगाव खास	ग्रामीण	1980000	60000	20000	2590000	1356000	198000
17	ठाढ़ीमार	ग्रामीण	1386000	42000	20000	1813000	949200	138600

उल्लिखित आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन निम्नानुसार समय सारणी के अन्तर्गत किया जायेगा:-

क्रमांक	विवरण	तिथि/अवधि
01	ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	13.07.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे से
02	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	20.07.2020 सायं 05:00 बजे तक
03	ई-लाटरी हेतु आवेदन पत्रों का परीक्षण	20.07.2020 को सायं 05:00 बजे से 22.07.2020 को सायं 05:00 बजे तक
04	ई-लाटरी की तिथि/समय एवं स्थल	24.07.2020 को अपराह्न 03:00 बजे से 05:30 बजे तक, स्थान कलेक्ट्रेट समागार कुशीनगर।

नोट:- 1- वर्ष 2020-21 में मदिरा की फुटकर दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, हैसियत प्रमाण-पत्र अथवा अधिकृत आयकर वैलुअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र तथा आयकर रिटर्न का विवरण दिया जाना अनिवार्य है। दिनांक 01.01.2019 के पश्चात् निर्गत हैसियत प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।


02- आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ-पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य है।

03- आवेदकों द्वारा प्रत्येक दशा में प्रोसेसिंग फीस/घरोहर धनराशि के समतुल्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट जो जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर के पास में देय हो मूलरूप से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर में दिनांक 22.07.2020 को अपराह्न 06:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।


04- वर्ष 2020-21 में लाटरी में किसी आवेदक को सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाय को मिलाकर दो से अधिक दुकानें आवंटित नहीं की जायेगी। यदि किसी आवेदक द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाय को मिलाकर दो या दो से अधिक दुकानों का नवीनीकरण करा लिया गया है, तो वह अवशेष रिक्त दुकानों के धयन हेतु ई-लाटरी प्रक्रिया में अर्ह नहीं होगा। ऐसे आवेदक को प्रदेश में कोई अन्य दुकान आवंटित नहीं की जायेगी।

05- किसी आवेदक द्वारा एक दुकान पर मात्र एक आवेदन ही मान्य होगा।

उक्त के अतिरिक्त दुकानवार विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कुशीनगर अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।



(राजवीर सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी,
कुशीनगर।


(पूजा एस चौधरी)
जिलाधिकारी,
कुशीनगर।

संख्या 336 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कुशीनगर को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत विज्ञापित को जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


जिला आबकारी अधिकारी,
कुशीनगर।